भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 262.

06 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

तमिलनाडु में प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 का कार्यान्वयन

†*262. श्री सी. एन. अन्नादुरईः

डॉ. रानी श्रीकुमारः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार वित्तीय सहायता और ब्याज राजसहायता के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के अंतर्गत आने वाले परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए तमिलनाडु में प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 का कार्यान्वयन कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में जिला-वार कितने लाभार्थियों की पहचान की गई है, कितने आवास स्वीकृत किए गए हैं और कितनी वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई है तथा उक्त वर्गों के अंतर्गत कितने लाभार्थियों को शामिल किया गया है;

(ग) उक्त योजना के शुभारंभ के बाद से तमिलनाडु में जारी की गई केन्द्रीय सहायता, स्वीकृत ब्याज राजसहायता तथा निर्माण के लिए प्रस्तावित आवासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में शहरी स्थानीय निकायों में किफायती आवास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए शीघ्र अनुमोदन प्रदान करने एवं धनराशि जारी करने तथा तीव्र गति से इनका कार्यान्वयन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

तमिलनाडु में प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 का कार्यान्वयन के विषय में दिनांक 06.08.2026 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *262 (दूसरा स्थान) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों से मिली सीख के आधार पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी)/मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 01.09.2024 से "सबके लिए आवास" मिशन के अंतर्गत पीएमएवाई-यू 2.0 का शुभारंभ किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 का कार्यान्वयन चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) तथा ब्याज राजसहायता योजना (आईएसएस) के माध्यम से किया जा रहा है।

योजना के दिशा-निर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf लिंक पर उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग): तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर मंत्रालय ने पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत कुल 18,577 आवासों को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें से दिनांक 13.07.2026 की स्थिति के अनुसार 7,083 आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा 2,334 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत अब तक कुल 251.44 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की जा चुकी है, जिसमें से 54.61 करोड़ रुपये तमिलनाडु राज्य को जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, पीएमएवाई-यू 2.0 के आईएसएस घटक के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य के 2,310 लाभार्थियों को कुल 7.44 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता जारी की जा चुकी है। आईएसएस घटक के अंतर्गत 1,552 लाभार्थी एलआईजी तथा 539 लाभार्थी एमआईजी श्रेणी के हैं, जबकि शेष सभी स्वीकृत लाभार्थी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हैं। तमिलनाडु राज्य में पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत जिला-वार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ): पीएमएवाई-यू तथा पीएमएवाई-यू 2.0 मांग-आधारित योजनाएं हैं। प्राप्त आवेदनों तथा लाभार्थियों के चयन के आधार पर परियोजना प्रस्तावों को राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसके उपरांत केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए इन प्रस्तावों पर केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा विचार किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर आवासों की स्वीकृति एक सतत कार्यकलाप है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तथा निर्धारित पात्रता शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन शीघ्रता से जांच कर उन्हें अनुमोदित किया जाता है। योजना के अंतर्गत निर्धारित अनुपालनों के अनुसार एसएनए-स्पर्श के माध्यम से मूल स्वीकृति के आधार पर केंद्रीय सहायता जारी की जाती है।

दिनांक 06-08-2026 को लोक सभा में पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या *262 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी लाभार्थियों के लिए स्वीकृत घरों की जिला-वार संख्या और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत तमिलनाडु राज्य के लिए आईएसएस घटक के तहत जारी केंद्रीय सहायता के साथ-साथ कुल स्वीकृत और जारी की गई केंद्रीय सहायता

क्रम संख्या	जिला	ईडब्ल्यूएस (संख्या)	एलआईजी (संख्या)	एमआईजी (संख्या)	कुल स्वीकृत आवास (संख्या)	कुल अनुमोदित केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	जारी की गई कुल केंद्रीय सहायता (करोड़ रु. में)	आईएसएस घटक के तहत जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रु. में)
1	अरियालुर	-	3	1	4	0.01	0.01	0.01
2	चेंगलपट्टू	811	109	47	967	12.62	0.84	0.551
3	चेन्नई	6,529	71	31	6,631	98.29	0.47	0.366
4	कोयंबटूर	271	203	38	512	4.52	2.32	0.857
5	कुड्डालोर	12	33	12	57	0.17	0.17	0.171
6	धर्मपुरी	388	7	2	397	5.84	2.35	0.028
7	डिंडीगुल	691	28	12	731	10.42	4.25	0.141
8	ईरोड	272	62	17	351	4.18	1.84	0.293
9	कल्लाकुरिची	1	3	1	5	0.02	0.02	0.016
10	कांचीपुरम	508	111	35	654	7.95	0.54	0.543
11	कन्याकुमारी	1,101	64	22	1,187	16.61	6.84	0.317
12	करूर	77	25	4	106	1.21	0.54	0.098
13	कृष्णागिरी	96	15	4	115	1.48	0.63	0.061
14	मदुरै	314	107	51	472	5.07	2.36	0.546
15	मयिलादुथुराई	96	4	-	100	1.45	0.59	0.018

16	नागपट्टिनम	117	4	2	123	1.78	0.72	0.015
17	नमक्कल	120	22	9	151	1.88	0.82	0.111
18	पेरम्बलूर	-	4	-	4	0.01	0.01	0.01
19	पुदुक्कोट्टई	322	8	3	333	4.86	1.96	0.031
20	रामनाथपुरम	66	8	6	80	0.98	0.42	0.048
21	रानीपेट	994	10	5	1,009	14.96	6.01	0.048
22	सलेम	271	44	20	335	4.19	1.80	0.214
23	शिवगंगा	87	10	7	104	1.29	0.55	0.064
24	तेनकासी	599	27	7	633	9.04	3.68	0.111
25	तंजावुर	727	19	5	751	10.96	1.08	0.073
26	नीलगिरी	-	2	-	2	0.01	0.01	0.007
27	थेनी	283	24	10	317	4.22	1.77	0.13
28	तिरुवल्लूर	104	171	54	329	2.24	1.37	0.789
29	तिरुवरूर	53	4	1	58	0.80	0.34	0.025
30	थूथुकुडी	284	54	22	360	4.35	1.90	0.262
31	तिरुचिरापल्ली	333	34	9	376	5.12	1.63	0.136
32	तिरुनेलवेली	248	46	17	311	3.79	1.64	0.21
33	तिरुपथुर	42	7	2	51	0.64	0.28	0.036
34	तिरुपुर	126	134	53	313	2.17	1.31	0.733
35	तिरुवन्नामलाई	24	16	5	45	0.41	0.21	0.07
36	वेल्लोर	339	17	4	360	5.12	2.10	0.077
37	विलुप्पुरम	2	20	8	30	0.09	0.09	0.09
38	विरुधुनगर	178	22	13	213	2.72	1.17	0.129
कुल		16,486	1,552	539	18,577	251.44	54.61	7.435